

सरयू राय
मंत्री
संसदीय कार्य--सह
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड सरकार



कार्यालय :-
झारखण्ड मंत्रालय
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची
आवास : एफ.टाईप, पी.डब्लू.डी. (IB)
डोरण्डा, राँची
मो. : 9431114486

पत्रांक... 566/शे.सं.के.

दिनांक... 3/8/16..

माननीय मुख्यमंत्री,

जमशेदपुर के तीन व्यवसायियों--श्री पवन पोद्दार, श्री चिंटू भालोटिया और श्री चंदन मित्तल के ठिकानों पर गत सप्ताह हुई आयकर विभाग की छापेमारी में 100 करोड़ रुपये से अधिक का कालाधन बरामद हुआ है. आकलन है कि यह कालाधन बिजली की चोरी से इंडक्शन फर्नेस चलाने और उससे हुए उत्पादन की हेराफेरी कर नगदी व्यवसाय के माध्यम से आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर आदि की चोरी करने से पैदा हुआ है. यह सब विगत 3-4 वर्षों में हुआ है. इसमें बिजली विभाग/कम्पनियों के मुख्यालय से क्षेत्रीय स्तर तक के पदाधिकारियों की मिली-भगत के बिना संभव नहीं है.

यदि इंडक्शन फर्नेस चलाने वाले 3-4 वर्षों में ही इतना कालाधन पैदा कर ले रहे हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य में बिजली की चोरी किस बड़े पैमाने पर हो रही है. बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार एवं सरकार की संबंधित बिजली कंपनी द्वारा बनायी गई व्यवस्थाएँ ध्वस्त होती दिखती हैं. जमशेदपुर के अलावा राज्य के अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही स्थिति की सूचनायें मिलते रहती हैं.

इस बारे में निम्नलिखित सुझावों पर अमल करने से बिजली चोरी काफी हद तक रोकी जा सकती है:-

1. पावर ग्रिड से पावर सबस्टेशन, पावर सबस्टेशन से फीडर तथा फीडर से बिजली खपत पर आश्रित उद्योगों तक हर स्तर पर एक-एक 'चेक मीटर' लगाया जाय ताकि पता चल सके कि ग्रिड से सब-स्टेशन में कितनी बिजली जा रही है, सब-स्टेशन से फीडर में कितनी बिजली की आपूर्ति हो रही है तथा फीडर से संबंधित उद्योगों के ट्रांसफॉर्मर में कितनी बिजली पहुंच रही है. मुझे जानकारी मिली है कि इस प्रकार के 'चेक मीटर' झारखण्ड में अबतक स्थापित नहीं किये गये हैं।

2. अधिक बिजली खपत करने वाले उद्योगों की चहरदिवारी के बाहर भी वहां जाने वाले कनेक्शन के साथ बिजली विभाग/बिजली कंपनी अपना एक चेक मीटर इस तरह लगाये ताकि उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सके।
6. अधिक बिजली खपत करने वाले उद्योगों के मीटरों की 'फारेसिक जांच' करायी जाय ताकि पता चल सके कि अवैध मीटर के साथ छेड़छाड़ की जा रही है या नहीं ?
7. आम तौर पर बिजली की अधिक खपत करने वाले सभी उद्योगों और खासकर जमशेदपुर में जिनके ठिकानों पर आयकर छापामारी हुई है उनके उद्योगों में लगे मीटरों की भी तत्काल फारेसिक जांच करायी जाय। मीटरों की फारेसिक जांच कराने के लिए उड़ीसा में भारत सरकार का एक संस्थान स्थापित है।
8. राज्य में एनर्जी ऑडिट की व्यवस्था लागू की जाय ताकि बिजली की जायज-नाजायज खपत की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके तथा पता चल सके कि औद्योगिक एवं शहरी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित होते रहने के कारण क्या हैं तथा किस स्तर पर बिजली की चोरी हो रही है। फिलहाल शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में हो रही बिजली की चोरी से हो रहे नुकसान को ग्रामीण क्षेत्रों के मत्थे मढ़ दिया जाता है। लाईन लॉस तथा प्लांट लोड फैक्टर की वास्तविक जानकारी भी इस कारण नहीं हो पाती है।

आशा है उपर्युक्त बिन्दुओं पर गंभीरता से गौर करते हुए आवश्यक कारवाई करेंगे तथा बिजली चोरी के दोषियों के विरुद्ध कानून सम्मत कारवाई करने का आदेश देना चाहेंगे। इनके विरुद्ध कारवाई इसलिए भी आवश्यक है कि जो व्यवसायी अपना व्यवसाय इमानदारी से चला रहे हैं, उन्हें ऐसे लोगों के साथ प्रतिस्पर्द्धा में कठिनाई हो रही है, और इमानदार व्यवसायिक प्रवृत्ति को धक्का लग रहा है।

सधन्यवाद,

सेवा में,
श्री रघुवर दास,
माननीय मुख्यमंत्री,
झारखण्ड सरकार, राँची।
ज्ञापांक :- 566 | सत्रीका०

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, उर्जा विभाग, झारखंड सरकार।

भवदीय,
ह०/-
सरयू राय

दिनांक 30.8.16

21/2/3/8.16
सरयू राय